न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. अमृतपाल सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम

1. दिलबाग सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. बलदेव सिंह पुत्र श्री दीप सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. ...ंह पुत्र श्री तारा सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री ...यनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. दरबारा सिंह पुत्र श्री दीप सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
6. बलविन्द्र कौर पत्नी श्री सतनाम सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
7. कुलविन्द्र कौर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
9. बलदेव सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
10. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
11. ...तेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
12. सलविन्द्र कौर पत्नी श्री मुखत्यार सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
13. जसवीर कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 36 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:25 IST
Reason: SelfAttested

लगातार.....2

Scanned with CamScanner

14.स्टेट ऑफ राजस्थान बजरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।

....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति :- 1. नवीन कुमार गिढ़ढा वकील प्रार्थी
2. साहिब बाघला वकील अप्रार्थी
3. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या :-56/2019

निर्णय दिनांक:-10/01/2022

[illegible]ण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है:-

यह कि चक 37 जी.बी.(बी) तहसील श्री विजयनगर के खाता संख्या 5/50 मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 1/2 की 0.0047 है. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। इस किला में टयूबवैल लगा हुआ है। इसके अलावा चक 36 जी.बी. के खाता संख्या 4/2 मुरब्बा नं. 14 के किला नं.1 सालम, 2/1 की 0.184 है., 9/1 की 0.177 है., 10 सालम, 16 ता 19 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 9/1 की 0.127 है., 12 ता 18 प्रत्येक सालम, 19/2 की 0.136 है., 20 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं. 33 किला नं. 7/2 की 0.076 है., 8 सालम, 9/1 की 0.076 है., 15, 17 ता 20 प्रत्येक सालम कुल 7.324 है. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। प्रार्थी के चक 37 जी.बी.(बी) के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 1/2 में स्थित टयूबवैल लगा हुआ है। इस टयूबवैल से लेकर चक 36 जी.बी. के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 2 ता 4, 13, 17, 25, मु.नं. 36 [illegible] 21 [illegible]2, मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 21 ता 25, मुरब्बा नं. 34 के किला नं. [illegible] [illegible] ता 25, मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 16 तक भूमिगत (3 फुट गहरे) [illegible] लाईन दोनों पक्षों की सहमति से आठ वर्ष पूर्व बिछाई गई थी। प्रार्थी अपने मुरब्बा [illegible] में लगे टयूबवैल से चक 36 जी.बी. के मु.नं. 14 में सिचांई करता आ रहा [illegible] और [illegible] भी सिंचाई कर रहा है। प्रार्थी द्वारा टयूबवैल का उपयोग समय समय पर किया जाता है। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नं. 14 मे फसल काश्त कर रखी है जिसमें पानी की आवश्यकता [illegible] है। अप्रार्थीगण द्वार पूर्व में पाईपलाईन के लिए मौखिक सहमति दी थी। अब अप्रार्थीगण इस पाईपलाईन को जमीन में से निकालने की कौशिश में है। जिन्हे रोकने के लिए अलग से अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मुरब्बा नं. 11 से चक 36 जी.बी. के मुरब्बा नं. 14 तक टयूबवैल का पानी ले जाने के लिए पाईपलाईन के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई साधन अथवा विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पाईप लाईन आठ वर्ष पूर्व बिछायी गई है और प्रार्थी उसका लगातार उपयोग भी कर रहा है। ऐसी सूरत में पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की जाना अति आवश्यक है। जिसके लिए माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई कम्पनसैशन निर्धारित किया जाता है तो उसकी अदायगी करने के लिए प्रार्थी तैयार है। प्रार्थी मुरब्बा नं. 42, 36, 35, 34, 14 में से पूर्व मे बिछाई

लगातार............3

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:25 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

14.स्टेट ऑफ राजस्थान बजरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।

....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति :- 1. नवीन कुमार मिढ्ढा वकील प्रार्थी
2. साहिब बाघला वकील अप्रार्थी
3. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या :-56/2019 निर्णय दिनांक:-10/01/2022

...ण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है:-

यह कि चक 37 जी.बी.(बी) तहसील श्री विजयनगर के खाता संख्या 5/50 मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 1/2 की 0.0047 है. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। इस किला में टयूबवैल लगा हुआ है। इसके अलावा चक 36 जी.बी. के खाता संख्या 4/2 मुरब्बा नं. 14 के किला नं.1 सालम, 2/1 की 0.184 है., 9/1 की 0.177 है., 10 सालम, 16 ता 19 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 9/1 की 0.127 है., 12 ता 18 प्रत्येक सालम, 19/2 की 0.136 है., 20 ता 25 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं. 33 किला नं. 7/2 की 0.076 है., 8 सालम, 9/1 की 0.076 है., 15, 17 ता 20 प्रत्येक सालम कुल 7.324 है. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। प्रार्थी के चक 37 जी.बी.(बी) के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 1/2 में स्थित टयूबवैल लगा हुआ है। इस टयूबवैल से लेकर चक 36 जी.बी. के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 2 ता 4, 13, 17, 25, मु.नं. 36 किला नं. 21 ...2, मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 21 ता 25, मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 1, 10, 11 ... ता 25, मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 16 तक भूमिगत (3 फुट गहराई में) पाईप लाईन दोनों पक्षों की सहमति से आठ वर्ष पूर्व बिछाई गई थी। प्रार्थी अपने मुरब्बा नं. 11 में लगे टयूबवैल से चक 36 जी.बी. के मु.नं. 14 में सिचांई करता आ रहा है और आज भी सिंचाई कर रहा है। प्रार्थी द्वारा टयूबवैल का उपयोग समय समय पर किया जाता है। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नं. 14 मे फसल काश्त कर रखी है जिसमें पानी की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थीगण द्वार पूर्व में पाईपलाईन के लिए मौखिक सहमति दी थी। अब अप्रार्थीगण इस पाईपलाईन को जमीन में से निकालने की कौशिश में है। जिन्हे रोकने के लिए अलग से अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मुरब्बा नं. 11 से चक 36 जी.बी. के मुरब्बा नं. 14 तक टयूबवैल का पानी ले जाने के लिए पाईपलाईन के अलावा प्राथी के पास अन्य कोई साधन अथवा विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पाईप लाईन आठ वर्ष पूर्व बिछायी गई है और प्रार्थी उसका ... उपयोग भी कर रहा है। ऐसी सूरत में पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की जानी अति आवश्यक है। जिसके लिए माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई कम्पनसेशन ... की अदायगी करने के लिए प्रार्थी तैयार है। प्रार्थी मुरब्बा नं. 12, 36, 35, 34, 14 में से पूर्व मे बिछाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:25 IST
Reason: SelfAttested

लगातार...........3

Scanned with CamScanner

गई भूमिगत पाईपलाईन को स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसके लिए श्रीमानजी के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 30/07/2019 को अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वे भूमिगत पाईप लाईन के लिए सहमति देवें तो उन्होने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 37 जी.बी.(बी) के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 1/2 में स्थित टयूबवैल से लेकर चक 36 जी.बी. के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 2 ता 4, 13, 17, 25, मु.नं. 36 किला नं. 21 ता 22, मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 21 ता 25, मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 1, 10, 11 व 21 ता 25, मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 16 तक भूमिगत (3 फुट गहराई में) बिछाई हुई पाईपलाईन को स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7, 8, 11, 13, 14 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि पाईप लाईन वह भूमि के तल पर ही लगी हुई है। कानूनी व विधिक रूप से पाईप लाईन नहीं लगाई हुई है। तथा ना ही अप्रार्थीगण द्वारा सहमति या स्वीकृति ली गई है। प्रार्थीया कुलविन्द्र कौर के पति द्वारा दिनां[illegible]/08/2019 को पुलिस थाना में गुरदीप सिंह, अमृतपाल सिंह, बलजिन्द्र सिंह के [illegible] प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी अमृतपाल सिंह द्वारा अवैध [illegible] भूमि तल पर पाईप डाल रखी है। जो प्रार्थी अमृतपाल बार बार कहने के बावजूद [illegible] पाईप लाईन नहीं हटा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण की भूमि में शोरा आने लग गया है और खड़ी फसल सूख गई है। तथा हमारी भूमि में जगह जगह पानी से गड्डे बने हुए है। तथा हमारी ज्वार भी खराब हो गई है और जो प्रार्थी द्वारा टयूबवैल लगाई गई है वह पानी खारा है। जो पाईप लीकेज होने के कारण हमारी भूमि में शोरा हो गया है तथा भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट हो गई है। इस सम्बन्ध में श्रीमानजी के समक्ष भी दिनांक 09/09/2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसकी श्रीमानजी के द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई गई थी। एवं पाईप लाईन स्वीकृत की जाती है तो अप्रार्थीगण को भारी आर्थिक नुकसान होगा। तथा अप्रार्थीगण की भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट होने के कारण भूमि बंजर हो जायेगी। अप्रार्थीगण अपनी भूमि में ट्रेक्टरों द्वारा खेत को जुताई भी नहीं कर सकता है क्योकि भूमि मे पाईप से रिसाव होने के कारण भूमि दलदल हो गई है। अप्रार्थीगण कुलविन्द्र कौर विधवा महिला है तथा प्रार्थी इसकों तंग परेशान करके अप्रार्थी कुलविन्द्र कौर की भूमि हड़पना चाहता है। और पाईप लाईन [illegible]कृतम करवा कर उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थीगण सलविन्द्र कौर व [illegible]ीर कौर के मु.नं. 35 किला नं. 23, 24 में 70×70 फुट की डिग्गी खोदी हुई है और प्रार्थीया उक्त डिग्गी का आकार बढ़ा कर 100×100 करना चाहती है। जो कि पाईप लाईन डिग्गी के पास से निकाली हुई है एवं अप्रार्थीगण का डिग्गी का साईज बढाने का कार्य पाईप के कारण रूका हुआ है। अप्रार्थीगण अमृत[illegible] हटाने का कहते है तो अप्रार्थीगण को अमृतपाल उल[illegible] जवा[illegible]क्त पाईप लाईन द्वारा कोई कृषि सिंचाई नही की जाती है[illegible] गुरदीप सिंह का ईंट भट्टा लगा हुआ है जो ईंटे बनाने के लिए पानी [illegible]रत होती है इसलिए पाईप

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:25 IST
Reason: SelfAttested

लगातार..........4

Scanned with CamScanner

लाईन द्वारा अपने भट्टे में ईंटे बनाने के लिए पाईप लाईन का उपयोग कर रहा है। जबकि पाईप लाईन द्वारा कोई कृषि सिंचाई नहीं की जाती है। अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हम अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 36 जी.बी. का मु.नं. 42, 41 व 36 को सिंचित करने के लिए गंगनहर की करणजी वितरिका के साथ चिपते अपने रकबा मु.नं. 42 में से वितरिका /नहर के नीच से घग्घर नदी का पानी अपने रकबा में लाने हेतु अपना व्यक्तिगत साईफन बना रखा है। जिसका उपयोग हम अप्रार्थीगण घग्घर नदी में पानी आने पर अपने रकबा को सिंचित करने के लिए करते है। प्रार्थी ने उक्त पाईप लाईन बिछाते समय हम अप्रार्थीगण को आश्वासन दिया था कि एक बार मुझे आपके साईफन में से पाईप लाईन बिछा लेने दो बाद में मैं सिंचाई विभाग से नहर के नीचे अथवा ऊपर से पाईप लाईन स्वीकृति लेकर साईफन में से पाईप लाईन को हटा लूंगा। परन्तु आज रोज तक प्रार्थी ने हमारे साईफन में से पाईप लाईन नहीं हटाई है। जिससे घग्घर नदी का पानी जो कि हम अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए लाते है तो अवरूद्ध होता है जिससे सिंचाई सुविधा में कमी आती है। अप्रार्थी संख्या 14 पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्ततुत किया। अप्रार्थी पैरोकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार सिंचाई पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पाईप लाईन आवश्यक थी। बोरवेल से खेत तक पाईप लाईन पूर्व मे बिछी हुई है। सिंचाई पानी के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पाईप लाईन आवश्यक थी। अन्य विकल्प शून्य है। पूर्व मे दबी हुई पाईप लाईन ही स्वीकृत करनी है। सम्पूर्ण पाईप लाईन खातेदारान के खेतो में से गुजरती है। उक्त भूमि के रिकॉर्ड में किसी प्रकार का स्थगन दर्ज नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने एवं नक्शा एवं मौका रिपोर्ट पटवारी मनन करनें उपरान्त पाया कि चक 37 जी.बी.(बी) के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 1/2 में स्थित टयूबवैल से लेकर चक 36 जी.बी. के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 2 ता 4, 13, 17, 25, मु.नं. 36 किला नं. 21 ता 22, मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 21 ता 25, मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 1, 10, 11 व 21 ता 25, मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 16 तक भूमिगत पाईपलाईन वर्तमान में मौका पर चल रही है। जो पूर्व से ही चल रही है। अतः पाईप लाईन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर चक 37 जी.बी.(बी) के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 1/2 में लगे बोरवेल से पानी की भूमिगत पाईप लाईन प्रारम्भ होकर चक 37 जी.बी. (बी) के मु.नं. 12 के किला नं. 1 ता 5 व मु.नं. 13 के किला नं. 1 ता 5 से होते हुए करणजी वितरिका के नीचे से चक 36 जी.बी. के मु.नं. 42 के किला नं. 1, 2, 3, 7, 14, 16, 17, 25 व मु.नं. 35 के किला नं. 21 ता 25 व मु.नं. 34 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 व मु.नं. 14 के किला नं. 25 में से किला नं. 16 तक टयूबवैल का पानी सिंचाई के लिए ले जाने की स्वीकृति इन शर्तो पर दी जाती है कि उक्त पाईपलाईन भूमि के अन्दर 3 फुट गहराई में रहे [illegible] की फसल का नुकसान ना हो ना ही साईफन आदि की वजह से उनकी सिंचाई [illegible] पाईप लाईन करणीजी वितरिका के नीचे से चल रही है, [illegible] से करणजी वितरिका को किसी प्रकार की क्षति होती है तो प्रार्थी क्षतिपूर्ति के लिए [illegible]रदायी होगा एवं प्रार्थी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:25 IST
Reason: SelfAttested

लगातार..........5

Scanned with CamScanner

पाईप लाईन का प्रयोग केवल सिंचाई कार्य के लिए ही करेगा, अन्य प्रयोजनार्थ नहीं कर सकेगा तथा अप्रार्थीगण की खडी फसल के नुकसान की भरपाई प्रार्थी द्वारा की जायेगी तथा प्रार्थी पाईप लाईन के रास्ते में आई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार भूमि की डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा करवायेगा। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा बिछाई गई पाईप लाईन के रास्ते में आई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा करवाने के उपरान्त नियमानुसार पाईप लाईन द्वारा खेत में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करने की शर्त पर पाईप लाईन स्वीकृति की पालना सुनिश्चित करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10/01/2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner